

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक : एफ 7(4)(1)पंचा/रानिआ/2014-15/353

दिनांक: 09.01.2026

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचायत),(कलक्टर), राजस्थान।

विषय:—पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन हेतु रिटर्निंग अधिकारियों एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में।

महोदय,

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 58(2) के प्रावधानों के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रत्येक पंचायत समिति के लिए, उसके सदस्यों के निर्वाचन हेतु एक रिटर्निंग अधिकारी और उसकी सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। नियम 58(2) के प्रावधान निम्नानुसार हैं :-

"58. Election of members of Panchayat Samiti/Zila Parishad.- (2) The District Election Officer (Panchayats) shall appoint a Returning Officer for each Panchayat Samiti for election of its members and may also appoint Assistant Returning Officer to assist him."

अतः पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन हेतु नियम 58(2) के अनुसरण में एवं संविधान के अनुच्छेद 243ट में प्रदत्त शक्तियों एवं इस निमित्त आयोग को समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचनों हेतु रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति हेतु निम्नलिखित निर्देश प्रदान किए जाते हैं :-

1. पंचायत समिति सदस्य के लिए रिटर्निंग अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा/राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होगा। यदि किसी जिले में भारतीय प्रशासनिक सेवा/राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो तो ऐसी स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति के पश्चात् राजस्थान तहसीलदार सेवा के अधिकारियों(तहसीलदार) को नियुक्त किया जा सकेगा।
2. पंचायत समिति सदस्य के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी तहसीलदार/नायब तहसीलदार होगा।
3. प्रशिक्षण काल में चल रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा/राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी के पद के लिए नियुक्त नहीं किया जाए।

भवदीय,

9/1/20

(राजेश वर्मा)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं
सचिव

क्रमांक: एफ. 7(4)(1)/पंचा/रानिआ/2014-15/354-361

दिनांक: 09.01.2026

प्रतिलिपि:— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. अतिरिक्त निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान।
2. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
4. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
8. कम्प्यूटर शाखा को, समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को ई-मेल करने तथा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


(मनीषा चौधरी)
सहायक सचिव